कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग-एक

निविदा आमंत्रण सूचना

संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग- एक की ओर से अधोलिखित प्रयोजन एवं शर्तो के अध्यधीन, पंजीकृत फर्मो/संस्थाओं से ऐसे वाहन, जो मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के अंतर्गत , क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीबद्ध हों, मासिक किराये पर लिये जाने हेतु मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है :-

क्रं.	वाहन किराये पर लिये जाने का प्रयोजन	वाहन की संख्या	वाहन का प्रकार, मॉडल एवं निर्माण का वर्ष	परिवहन क्षमता
1	संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग-एक के उपयोग हेतु	01	वाहन वर्ष 2017 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है (वाहन का अधिकतम लागत मूल्य/एक्स शोरूम प्राईज रू 5.50 लाख तक होनी चाहिये) छोटा वाहन	तीन + एक (कुल चार व्यक्ति)
2	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर एन्टी इवेजन ब्यूरो, जबलपुर के उपयोग हेतु	01	वाहन वर्ष 2017 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है (वाहन का अधिकतम लागत मूल्य/एक्स शोरूम प्राईज रू 5.50 लाख तक होनी चाहिये) छोटा वाहन	तीन + एक (कुल चार व्यक्ति)
3	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, एन्टी इवेजन ब्यूरो, जबलपुर के उपयोग हेतु	01	वाहन वर्ष 2017 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है (वाहन का अधिकतम लागत मूल्य/एक्स शोरूम प्राईज रू 5.50 लाख तक होनी चाहिये) छोटा वाहन	तीन + एक (कुल चार व्यक्ति)
4	कार्यालय, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, एन्टी इवेजन ब्यूरों, जबलपुर के उपयोग हेतु	02	वाहन, वर्ष 2017 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है | (बडा वाहन)	छ: + एक (कुल सात व्यक्ति)
5	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर , टैक्स आडिट विंग , जबलपुर के दल हेतु	02	वाहन, वर्ष 2017 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है | (बडा वाहन)	छ: + एक (कुल सात व्यक्ति)
6	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग-दो के उपयोग हेतु	01	वाहन वर्ष 2017 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है (वाहन का अधिकतम लागत मूल्य/एक्स शोरूम प्राईज रू 5.50 लाख तक होनी चाहिये) छोटा वाहन	तीन + एक (कुल चार व्यक्ति)
7	कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर वृत्त -एक के उपयोग हेतु	01	वाहन वर्ष 2017 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है (वाहन का अधिकतम लागत मूल्य/एक्स शोरूम प्राईज रू 5.50 लाख तक होनी चाहिये) छोटा वाहन	तीन + एक (कुल चार व्यक्ति)
8	कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर वृत्त –दो के उपयोग हेतु	01	वाहन वर्ष 2017 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है (वाहन का अधिकतम लागत मूल्य/एक्स शोरूम प्राईज रू 5.50 लाख तक होनी चाहिये) छोटा वाहन	तीन + एक (कुल चार व्यक्ति)
9	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर जबलपुर वृत्त-तीन के उपयोग हेतु	01	वाहन वर्ष 2017 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है (वाहन का अधिकतम लागत मूल्य/एक्स शोरूम प्राईज रू 5.50 लाख तक होनी चाहिये) छोटा वाहन	तीन + एक (कुल चार व्यक्ति)
10	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्तिकर वृत्त जबलपुर के उपयोग हेतु	01	वाहन वर्ष 2017 अथवा उसके बाद का निर्मित होना अनिवार्य है (वाहन का अधिकतम लागत मूल्य/एक्स शोरूम प्राईज रू 5.50 लाख तक होना चाहिये)	तीन + एक (कुल चार व्यक्ति)

निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक व समय 11.09.2019 को अपरान्ह 03:00 बजे तक |
निविदा खोले जाने का दिनांक व समय 13.09.2019 को अपरान्ह 03:00 बजे |

निविदा प्रस्तुत किये जाने की शर्ते :-

1. उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये दोनों प्रकार - छोटे एवं बडे वाहनों के लिये पृथक-पृथक निविदायें प्रस्तुत की जाना अनिवार्य है.
2. अनुक्रमांक 01 से 10 तक में वर्णित छोटे एवं बडे वाहनों के लिये प्रत्येक निविदा के साथ रू 10,000/- की धरोहर राशि , संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग-एक जबलपुर के नाम से रेखांकित धनादेश निविदा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है | सुरक्षा निधि के धनादेश एवं निविदा के लिये पृथक-पृथक मुहरबंद लिफाफे प्रस्तुत किये जायें, जिनके ऊपर निविदा / धनादेश स्पष्ट रूप से लिखा जायें |
3. ऐसे वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीयत होना अनिवार्य है | (पंजीयन अभिलेखों की समस्त पठनीय स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां अनिवार्यतः संलग्न की जायें)
4. निविदा में छोटे वाहन एवं बडे वाहनों के लिये किराये की दरों का उल्लेख श्रेणीवार पृथक-पृथक किया जाये | समस्त वाहन , नॉन ए.सी. होंगे | (गैर वातानुकूलित)
5. क्रमांक 1 , 2 , 3 एवं 6 , 7 , 8 , 9 , 10 में उल्लिखित वाहनों के लिये मासिक किराये के अंतर्गत वाहन का उपयोग प्रति माह 1000 किलोमीटर तक होगा | किसी माह में प्रवास की स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से 1000 किलोमीटर से अधिक उपयोग किये जाने की दशा में प्रति किलोमीटर किराये की दर पृथक से देय होगी, जो कि प्राप्त होने वाली निविदाओं में से न्यूनतम दर के आधार पर निर्धारित की जा सकेगी |
6. क्रमांक 4 एवं 5 में उल्लिखित वाहनों के लिये मासिक किराये के अंतर्गत वाहन का उपयोग प्रति माह 2500 किलोमीटर तक होगा | किसी माह में प्रवास की स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से 2500 किलोमीटर से अधिक उपयोग किये जाने की दशा में प्रति किलोमीटर किराये की दर पृथक से देय होगी, जो कि प्राप्त होने वाली निविदाओं में से न्यूनतम दर के आधार पर निर्धारित की जा सकेगी |
7. वाहन हमेशा डीजल तथा ड्रायवर सहित उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन की टूट-फूट तथा रख-रखाव के समस्त खर्चे व देय कर वाहन मालिक को वहन करना होगा | विशेष परिस्थिति में वाहन चालक की अनुपस्थिति में दूसरा वाहन-चालक उपलब्ध कराना होगा | वाहन चालक सहित वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में रू 1000/- प्रतिदिन की कटौती की जायेगी | गंभीर अनियमितता के कारण शासकीय कार्य में अधिक व्यवधान किये जाने की दशा में धरोहर राशि भी राजसात की जा सकेगी | वाहन चालक निर्धारित लासेंसधारी होना चाहिये तथा उसके विरूद्ध कोई आपराधिक मामले पुलिस अथवा न्यायालय में पंजीबद्ध नहीं होना चाहिये :-
    a. किराये पर लिये जाने वाला वाहन नियमित होगा, वाहन के साथ कोई दुर्घटना होने पर समस्त प्रकार का दायित्व वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी/संस्था का होगा |
    b. वाहन चोरी होने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर समस्त वैधानिक कार्यवाही का दायित्व वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी/संस्था का होगा |
    c. वाहन, परिवहन अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार बीमित होना अनिवार्य है |
    d. सम्बंधित फर्म/संस्था/एजेंसी का GSTIN नं. होना अनिवार्य है |
8. समस्त शासकीय/अन्य करों के नियमानुसार भुगतान का दायित्व, वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी का ही होगा | भुगतान योग्य आयकर की कटौती, आयकर अधिनियम के अनुसार इस विभाग द्वारा की जायेगी | इसी प्रकार GST अधिनियम के अंतर्गत भी भुगतान के समय नियमानुसार स्त्रोत पर कटौती की जायेगी |
9. संबंधित एजेंसी/संस्था अथवा नियुक्त किये गये व्यक्तियों का EPF / ESIC से सम्बंधित विभागों में नियमानुसार पंजीयत होना अनिवार्य है, जिससे संबंधित दस्तावेज भी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है | सेवा प्रदाता एजेंसी/संस्था द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के आधार पर उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा | इसी प्रकार EPF / ESIC से सम्बंधित विभागों में उनके नियमों के अंतर्गत आवश्यक कटौतियां की जाकर भुगतान कराया जाना भी अनिवार्य होगा |
10. नियमानुसार लॉगबुक का संधारण किया जायेगा, जिसमें सभी प्रविष्टियाँ अनिवार्य रूप से की जायेगी एवं उपयोगकर्ता अधिकारी के द्वारा दिनांक, सील सहित हस्ताक्षर किये जायेंगे |
11. ऐसे वाहन, वित्त वर्ष 2019-20 के लिये किराये पर लिये जायेंगे तथा यह अवधि आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकेगी | स्वीकृत निविदाओं की समान शर्तो व दरों के अनिवार्य अध्यधीन रहते हुये मासिक किराए पर लिये गये वाहनों को आगामी अवधि हेतु भी निरंतर किया जा सकता है |
12. निविदाकर्ता द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार देय स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि समस्त शर्ते उन्हें मान्य है |

प्राप्त निविदाओं के आधार पर तीन सफल निविदाकारों में से न्यूनतम मासिक किराया एवं अन्य निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाली निविदा मान्य की जायेगी, किन्तु निविदा के मान्य / अमान्य / स्थगित करने का पूर्ण अधिकार संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग-एक के पास सुरक्षित रहेगा | इस सम्बंध में कोई पत्र व्यवहार विधि मान्य नहीं होगा |

21.08.2019
संभागीय उपायुक्त,वाणिज्यिक कर
जबलपुर संभाग-एक